न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 247 / 2024

अनवान : –

1. शिलो पुत्री भजनलाल जाति मेघवाल साकिन जसाना तहसील नोहर।

– प्रार्थी

बनाम्

1. भानीराम पुत्र भजनलाल जाति मेघवाल साकिन जसाना तहसील नोहर।
2. ओमप्रकाश पुत्र भजनलाल जाति मेघवाल साकिन जसाना तहसील नोहर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
4. पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **सायल**
श्री महेशचन्द्र शर्मा

निर्णय दिनांकः 28/11/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा 20 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 88/88 की कुल 4.1240 हैक्ट भूमि भजनलाल पुत्र हरजीराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त कृषि भूमि सायला के दादा हरजीराम पुत्र चौखा जाति मेघवाल साकिन जसाना तहसील नोहर खातेदार काश्तकार थे तथा उनकी फौतदगी के बाद उपरोक्त कृषि भूमि उनके पुत्रगणो पर औद हुई तथा सायला के पिता भजनाराम के हिस्सा में रोही मौजा चक 20 जे.एस.एन. तहसील नोहर के खाता सं. 185/149 की कुल तादादी 4.1240 हैक्टर भूमि दर्ज हुई है।

सायला के पिता भजनलाल पुत्र हरजीराम जाति मेघवाल साकिन जसाना तहसील नोहर फौत हो चुके है तथा सायला की माता सावित्री पत्नि भजनलाल भी फौत हो चुकी है तथा वादग्रस्त कृषि भूमि रोही मौजा चक 20 जे.एस.एन. तहसील नोहर के खाता सं. 88/88 की कुल तादादी 4.1240 हैक्टर भूमि में सायला अकेली 1/3 हिस्सा, गैरसायला सं. 1 अकेली 1/3 हिस्सा, गैरसायल सं. 3 अकेला 1/3 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार सायला न्यायालय से घोषणा करवापाने के अधिकारी है। वादग्रस्त कृषि भूमि में गैरसायलान सं. 1 ता 2 साज बाज कर अपने अकेलो के नाम दर्ज करना चाहते है तथा सायला को उसके हक व हिस्से से वचित करने की योजना बनाते रहते है तथा सायला को उसके हक व हिस्से से वंचित कर दिया जाता है। तथा उसकी आजिविका का साधन ही खत्म हो जायेगा। तथा सायला को ना पुरा होने वाला नुक्शान होगा तथा सायला का अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से सम्भव नही होगी इसलिए सायला गैरसायलान के खिलाफ इस आश्ये की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कि जावे कि वादग्रस्त भूमि को रहन/बैय व मुन्तकिल करने से निषिद्ध रहे एवं मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने प[illegible] रोही मौजा 20 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 88/88 की कुल 4.1240 [illegible] में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की [illegible] स0 1 ता 2 उक्त [illegible] भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 17:55:25 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अप्रार्थी स0 1 ता 2 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की उक्त भूमि में भजनलाल का केवल 1/7 हिस्सा था

उपखण्ड अधिकारी
नोहर
Rahul

शेष हिस्सा भजनलाल को अपनी बहनों से प्राप्त हुआ है इसलिए 1/7 भूमि के अलावा शेष भूमि गैरसायल के पिता की स्वयं अर्जित भूमि है जिसमें सभी का 1/21 हिस्सा भूमि बनती है लेकिन शिलो पर अपने पिता की हत्या का आरोप है एवं मुकदमा दर्ज है हिन्दु विधि अनुसार हत्या का आरोपी अपने पिता की भूमि में हक पाने का अधिकारी नही है। प्रार्थीया द्वारा गैरसायलान को तंग व परेशान करने के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अतः जवाब प्रार्थना पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत खाता विभाजन मूल दावें के निर्णय में तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार वादग्रस्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भजनलाल पुत्र हरजीराम के नाम दर्ज है प्रार्थी व अप्रार्थी का कथन है कि भजनलाल का देहान्त हो चुका है। प्रार्थी का कथन है कि भजनलाल के तीन वारिस है एवं भजनलाल के नाम दर्ज भूमि में सभी का 1/3 हिस्सा है जबकि अप्रार्थीगण का कथन है कि उक्त भूमि में से केवल 1/7 हिस्सा भूमि ही पैतृक है इसलिए सभी का 1/21 हिस्सा बनता है उक्त बिन्दु साक्ष्य सबूतों एवं तनकीआत के आधार पर मूल वाद में निर्णित होना है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण सगे भाई व बहिन है अर्थात विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य है। हस्तगत प्रकरण में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय में विचाराधीन है, वादग्रस्त भूमि को पैतृक, मौरूसी एवं स्वअर्जित सम्पति होना और पक्षकारों का वादग्रस्त भूमि में हक निर्धारण होना शेष है जो मूल वाद में साक्ष्य उपरान्त ही निर्धारित हो सकेगा और स्पष्टतः विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य है और जहां विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य हो वहां रिकार्डेड खातेदार को भी निषिद्ध किया जा सकता है ताकि भविष्य में वाद बाहुल्यता को रोका जा सकें। अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है। जब प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म नही की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थीया को होगी न की अप्रार्थी कों। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व अप्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण स0 1 ता 2 इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि रोही मौजा 20 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 88/88 की कुल 4.1240 हैक्ट भूमि की न्यायालय हाजा में विचाराधीन वाद का निस्तारण होने तक वादग्रस्त भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली इस कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से ... र दाखिल दफ्तर हों।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 17:55:25 IST
Reason: SelfAttested

यह निर्णय आज दिनांक......20/11/25...... को ... खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर